कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1514 /FP/UK/ROAD/44583/2020 :देहरादूनः दिनांकः 22 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पौड़ी गढवाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 155/2018 के अन्तर्गत विधान सभा यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल के निर्माण हेतु 0.51 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी/यू0सी0पी0/06/159/2020/एफ0सी0/2529 दिनांकः–26.03.2021

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के पत्रांक 257/12–1 दिनांक 04.10.2021 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	(क) वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :**	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 312 पौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि रू0 3,43,928.00 की धनराशि चालान के माध्यम से कैम्पा कोष, नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1)**
	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 1020 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.02 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	
	(ख) राज्य सरकार पौधारोपण के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	(ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र के डिजिटल मानचित्र पृथक से प्रेषित कर दिये जायेंगे।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यतिआवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेग। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कर्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998– एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.51 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 22,33,800.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तद्र्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 वृक्षों से अधिक नहीं होगी, एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। **(संलग्नक–3)**
7	Details of Density and Eco-Class found different in para 4 part-II and NPV sheet. DFO had verified the density and Eco class and accordingly NPV will be Deposited.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में उचित ईको क्लॉस एवं घनत्व के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जा चुकी है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 25,77,728.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

9	गाइडलाइन्स में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की एक प्रति कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इस की कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	गाइडलाइन्स में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। **(संलग्नक–4)**
10	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	संरक्षिम क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। **(संलग्नक–5)**
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा
14	केंन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–6)**
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राजीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्र्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–7)**
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–8)**
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–9)**
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिततिं में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–10)**
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–11)**

	संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–12)**
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर सही प्रकार से मलवे निस्तारण करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–13)**
24	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–14)**
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

संख्या– /FP/UK/ROAD/44583/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
2. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक